

भारत का राजपत्र
The Gazette of India.

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—प्रखण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

25/2/72

सं० 69] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 1972/भाषा 13, 1893

No. 69] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 1972/MAGHA 13, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February 1972

S.O. 90(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs in consultation with the State Government that the following further amendments shall be made in its notification No. 434/BR/71, dated the 5th January, 1971 namely:—

In column 3 of the Table appended to the said notification:—

Against item 16—Darbhanga,

“Shri M. Mustafa, Magistrate next in rank to the Sub-divisional Magistrate, Laheriasarai

Shri Someshwar Prasad, Land Reforms Deputy Collector, Laheriasarai

Shri R. P. Urnaway, Deputy Magistrate, Madhubani

Shri S. D. Prasad, Deputy Magistrate and District Supply Officer, Darbhanga,

Shri Karamat Hussain, Deputy Magistrate, Samastipur”,
shall be added

[No. 434 BR/71(15)]

By Order,

A. N. SEN Secy

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1972

एस० नो० 90(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना संख्या 434/बिहार/71, तारीख 5 जनवरी, 1971 में आगे और निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 3 में—

मद 16—दरभंगा के सामने—

“श्री एम० मुस्तफा, उप-खण्ड मजिस्ट्रेट से ठीक नीचे की पंक्ति का मजिस्ट्रेट,
लहरियासराय;

श्री मोमेश्वर प्रसाद, उप कलक्टर भूमि सुधार, लहरियासराय;

श्री आर० पी० विरनाबे, उप मजिस्ट्रेट, मधुबनी;

श्री एस० डी० प्रसाद, उप मजिस्ट्रेट तथा जिला प्रदाय अधिकारी, दरभंगा;

श्री करामत हुसैन, उप मजिस्ट्रेट, समस्तीपुर।”

प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी।

[सं० 434/बिहार/71 (15)]

आदेश से,

ए० एन० मैत. सचिव।